Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

फरवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार 3
- बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा: सर्वोच्च न्यायालय 4
- NREGS कार्ड धारकों के लिये आधार सीडिंग 5
- बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु EV की खरीद 6
- बाल विवाह में वृद्धि 7
- वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन 7
- बिहार लघु उद्यमी योजना 9
- सरकार बिहार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी 10
- बिहार के कॉलेजों में "प्लस टू" कक्षाएँ नहीं 11
- जल प्रबंधन परियोजना के लिये विश्व बैंक ऋण 11
- प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी 12
- बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 12

नोट :

बिहार

पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार

चर्चा में क्यों ?

परंपरागत रूप से बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िले तक सीमित रहने वाली लीची की कृषि में 19 भारतीय राज्यों में महत्त्वपूर्ण विस्तार देखा गया है, जो भारत में बागवानी को बढ़ावा देता है।

- यह विकास बिहार के मुज़फ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (National Research Centre on Litchi-NRCL) के प्रयासों से हुआ है।

मुख्य बिंदु:

- वनस्पति वर्गीकरण: लीची सैपिन्डेसी परिवार (Sapindaceae family) से संबंधित है और अपने स्वादिष्ट, रसीले, पारदर्शी एरिल (translucent aril) या खाने योग्य गूदे के लिये जानी जाती है।
- जलवायु: लीची मुख्यत: उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उत्पादित होती है और नम स्थितियाँ इसकी खेती के लिये अनुकूल होती हैं। इसकी फसल के लिये कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में, लगभग 800 मीटर की ऊँचाई तक, आदर्श जलवायु होती है।
- मृदा: लीची की खेती के लिये आदर्श मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर गहरी, अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है।

नोट :

- तापमान: लीची अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील है। यह गर्मियों में 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या सर्दियों में ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकती है।
- वर्षा का प्रभाव: लंबे समय तक वर्षा, विशेषकर फूल आने के दौरान, इसके परागण में बाधा उत्पन्न कर सकती है तथा फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- भौगोलिक कृषि: भारत में वाणिज्यिक कृषि परंपरागत रूप से उत्तर में त्रिपुरा से लेकर जम्मू-कश्मीर तक हिमालय की तलहटी पहाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों तक ही सीमित थी।
  - भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% मात्र बिहार में होता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल (12%) तथा झारखंड (10%) का स्थान है।
- वैश्विक उत्पादन: चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-अफ्रीका, मेडागास्कर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

उद्यान कृषि:

- परिचय:
  - उद्यान कृषि (हॉर्टीकल्चर) से तात्पर्य फलों, सब्ज़ियों, फूलों, सजावटी पौधों तथा अन्य फसलों की कृषि के विज्ञान, कला एवं अभ्यास से है।
  - इसमें मानव उपयोग तथा उपभोग के लिये पौधों की खेती, प्रबंधन, प्रसार एवं सुधार से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- उद्यान कृषि के लिये पहल:
  - एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन:
    - एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture-MIDH) फलों, सब्ज़ियों और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले उद्यान कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - MIDH के तहत, भारत सरकार सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिये कुल परिव्यय का 60% योगदान देती है (उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहाँ केंद्र सरकार 90% योगदान देती है) तथा 40% योगदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।
  - उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
    - यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चिह्नित उद्यान कृषि समूहों को विकसित करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है।
    - 'उद्यान कृषि क्लस्टर' लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।

बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार जाति आधारित सर्वे के मामले में कहा कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिये ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके।

- बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा है कि जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

मुख्य बिंदु:

- न्यायाधीशों के पैनल ने उन याचिकाकर्त्ताओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जो इस तरह के कार्य को करने के लिये बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं।

नोट :

- बिहार जाति सर्वेक्षण, 2023 से पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) मिलकर राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा हैं।
- जारी आँकड़ों के अनुसारराज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36%) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है।
- चूँकि सर्वेक्षण के आँकड़े सामने आ गए है और अधिकारियों द्वारा इसे अंतरिम रूप से लागू करना शुरू कर दिया गया है और SCs, STs, OBCs, EBCs एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% कर दिया है।

NREGS कार्ड धारकों के लिये आधार सीडिंग

चर्चा में क्यों ?

जनवरी 2024 के मध्य तक, बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

- राज्यों के लिये लाभार्थियों को आधार-आधारित वेतन भुगतान को अपनाना केंद्र की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र ने 1 जनवरी से MGNREGS के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के लिये AePS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) अनिवार्य कर दिया है।
- इसका तात्पर्य यह है कि लाभार्थियों को पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। वह राशि देय तिथि के बाद उनके आधार नंबर के माध्यम से सत्यापित होगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (NCPI) द्वारा इसकी मैपिंग की जाएगी।
- अभी बिहार में MNREGA के तहत जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या 1.80 करोड़ है। उनमें से 1.52 करोड़ के बैंक खाते उनके आधार (विशिष्ट पहचान) नंबर से जुड़े हुए हैं।
- इनमें से लगभग 96 लाख सक्रिय कर्मचारी (जो नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं), लगभग 94 लाख के बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, जबकि 79.63 लाख AePS के तहत भुगतान के लिये पात्र हैं।
- चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में, बिहार ने योजना के तहत स्वीकृत 17 करोड़ के मुकाबले अब तक 15.64 करोड़ मानव दिवस (इस अवधि के भीतर एक व्यक्ति द्वारा किये जा सकने वाले कार्य की मात्रा के संदर्भ में एक दिन माना जाता है) उत्पन्न किया है, जिसका उद्देश्य अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को एक वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का कार्य प्रदान करना है।
  - इस वित्तीय वर्ष में कार्य सृजन के लिये अतिरिक्त 8 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का प्रस्ताव बिहार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।

आधार

- आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की गई 12 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
  - यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
- आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये विशिष्ट होती है और इसकी वैद्यता जीवन भर तक है।
  - यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है।
- आधार संख्या निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है।

नोट :

बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु EV की खरीद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान दो इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी।

- यह बिहार में सतत् और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्या बिंदु:

- यह कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।
- अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री सक्रिय रूप से प्रदर्शित EV के साथ जुड़े रहे और उनकी विशेषताओं तथा क्षमताओं के विषय में विस्तृत जानकारी मांगी।
  - उन्होंने EV के पर्यावरणीय लाभों पर ज़ोर दिया और सुविधाजनक सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।
  - उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका पर ज़ोर देते हुए जनता से EV के लाभ तलाशने का आग्रह किया।
- परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रदूषण मुक्त राज्य प्राप्त करने के लिये आवश्यक सामूहिक प्रयासों पर ज़ोर दिया।
- परिवहन सचिव के अनुसार, वर्ष 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में EV की हिस्सेदारी 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक थी।
- बिहार EV नीति के तहत मोटर वाहन कर में खरीद प्रोत्साहन, छूट और मज़बूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के तहत वर्ष 2028 के निर्धारित समय के अंदर राज्य में EV की पहुँच 15 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने के लिये निर्धारित है।
- विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute- WRI) भारत के अनुसार, सिस्टम के डिजिटलीकरण से राज्यों में परिवहन प्रणाली की दक्षता में काफी सुधार हो सकता है।
  - मांग एकत्रीकरण लागत में लगभग 30% की कमी ला सकता है और ई-बसों को अपनाने में सहायता कर सकता है।
  - परिवहन बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये ओपन डेटा रिपॉजिटरी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये परिवहन बुनियादी ढाँचे की योजना को बेहतर बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं।
  - वित्तपोषण में आसानी एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटक है जो राज्यों को सार्वजनिक परिवहन के लिये एक सक्षम बाज़ार बनाने में सहायता कर सकता है।
  - नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय सुझाए, जिनमें कुछ शहरों में आक्रामक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल को लागू करना और स्कूलों को शुरुआत में इलेक्ट्रिक बसों पर स्विच करने के लिये प्रोत्साहित करना शामिल है।

विश्व संसाधन संस्थान (WRI)

- WRI वर्ष1982 में वाशिंगटन, डी.सी. में बनाया गया था। यह एक गैर-लाभकारी, विज्ञान तथा साक्ष्य आधारित संस्थान है जो वैश्विक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर कठोर नीति अनुसंधान करता है।
- इसका मिशन मानव समाज को ऐसे तरीकों से जीने के लिये प्रेरित करना है जो पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करना।
- नीति आयोग
- नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- नोडल एजेंसी को आर्थिक विकास को गति देने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।
- बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सौदेबाजी संघवाद से दूर जाना।

बाल विवाह में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारत में बाल विवाह पर हाल ही में किये गए लैंसेट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया। हालाँकि इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कुछ राज्यों, विशेष रूप से बिहार (16.7%), पश्चिम बंगाल (15.2%), उत्तर प्रदेश (12.5%) और महाराष्ट्र (8.2%) ने सामूहिक रूप से बालिकाओं के बाल विवाह के कुल मामलों में आधे से अधिक का योगदान दिया।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS 2015-16) के अनुसार, 20-24 वर्ष के बीच की 39.1% बालिकाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है।
- इसका तात्पर्य है कि 5 में से 2 बालिकाओं की शादी उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही कर दी जाती है।
- ज़िला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (NFHS-4, 2015-16) के अनुसार बिहार में CRY-समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल ज़िले में था, इसके बाद बेगुसराय, जमुई, समस्तीपुर और गया ज़िले थे।.
- जैसा कि नवीनतम जनगणना (2011) के आँकड़ों से पता चलता है, 13 मिलियन से अधिक किशोर बालिकाएँ ऐसी हैं जिनकी शादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के बीच हुई है।
- भारत में 3.8 मिलियन बालिकाएँ माता हैं, जिनमें से 1.4 मिलियन के किशोरावस्था पूरी होने से पहले ही दो या अधिक बच्चे थे।
- उनकी शिक्षा प्रोफाइल के एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि 39% बालिकाएँ जो निरक्षर थीं, उन्होंने बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया था, जबकि 26% लड़कियाँ साक्षर थीं, जिससे साबित होता है कि थोड़ी सी शिक्षा भी लड़कियों को सशक्त बनाने में बहुत मदद करती है।
- बाल विवाह के मुद्दे को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिये अंतर-विभागीय अभिसरण सुनिश्चित करना समय की मांग है जहाँ स्कूलों, समेकित बाल विकास योजना (ICDS) और पंचायती-राज संस्थानों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के बाद, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें इन इकाइयों को बाल विवाह से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये जवाबदेह होना होगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4)

- 29 राज्यों के अलावा NFHS-4 में पहली बार सभी छह केंद्रशासित प्रदेश शामिल थे और जनगणना 2011 के अनुसार, देश के सभी 640 ज़िलों के लिये ज़िला स्तर पर अधिकांश संकेतकों के अनुमान उपलब्ध कराए गए थे।
- सर्वेक्षण में प्रजनन, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, प्रसवकालीन मृत्यु दर, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार, सुरक्षित इंजेक्शन, तपेदिक व मलेरिया, गैर-संचारी रोग, घरेलू हिंसा, HIV ज्ञान तथा HIV से ग्रसित लोगों के प्रति दृष्टिकोण सहित स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया था।

वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिये मुज़फ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन/रीयल टाइम सोर्सेज अपोर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है।

- यह निर्णय इसलिये लिया गया क्योंकि मुज़फ्फरपुर, गया और राज्य की राजधानी पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 122 गैर-प्राप्ति शहरों में से हैं।

नोट :

Air Pollutants

Sulphur Dioxide (SO_2)

It comes from the consumption of fossil fuels (oil, coal and natural gas). Reacts with water to form acid rain.

Impact: Causes respiratory problems.

Ozone (O_3)

Secondary pollutant formed from other pollutants (NOx and VOC) under the action of the sun.

Impact: Irritation of the eye and respiratory mucous membranes, asthma attacks.

Nitrogen Dioxide (NO_2)

Emissions from road transport, industry and energy production sectors. Contributes to Ozone and PM formation.

Impact: Chronic lung disease.

Carbon Monoxide (CO)

It is a product of the incomplete combustion of carbon-containing compounds.

Impact: Fatigue, confusion, and dizziness due to inadequate oxygen delivery to the brain.

Ammonia (NH_3)

Produced by the metabolism of amino acids and other compounds which contain nitrogen.

Impact: Immediate burning of the eyes, nose, throat and respiratory tract and can result in blindness, lung damage.

Lead (Pb)

Released as a waste product from extraction of metals such as silver, platinum, and iron from their respective ores.

Impact: Anemia, weakness, and kidney and brain damage.

Particulate Matter (PM)

PM10: Inhalable particles, with diameters that are generally 10 micrometers and smaller.
PM2.5: Fine inhalable particles, with diameters that are generally 2.5 micrometers and smaller.
Source: Emitted from construction sites, unpaved roads, fields, fires.
Impact: Irregular heartbeat, aggravated asthma, decreased lung function.

Note: *These major air pollutants are included in the Air quality index for which short-term National Ambient Air Quality Standards are prescribed.*

Drishti IAS

नोट :

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली और पटना) द्वारा आयोजित किया जाएगा।
  - अध्ययन दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों के "परिवेशी वायु में पीएम2.5 और पीएम10 के मौसमी वायु में कणों के सघनता स्तर" की पहचान करेगा।
  - पीएम 2.5 और पीएम 10 वायु में मौजूद सूक्ष्म कण हैं तथा इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
- वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार वाहनों, धूल, बायोमास जलने और उद्योगों से उत्सर्जन जैसे कारकों की पहचान करने में सहायता करता है।
- बिहार की राजधानी पटना में पर्यावरण और सतत् विकास संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) पहले से ही इस तरह का अध्ययन कर रहा है जो कि सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया है, जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिये रणनीतियाँ प्रस्तावित की हैं।
  - NCAP ने 122 संवेदनशील शहरों की पहचान की जहाँ 'राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों' (NAAQS) का उल्लंघन होता है।
- उत्सर्जन स्रोत, कणों की वहन क्षमता और स्रोत विभाजन के अलावा, विशेषज्ञ नदी तल सामग्री (मिट्टी) के योगदान तथा सड़क की धूल के स्रोत पर भी आँकड़े एकत्र करेंगे।
- परिवहन के दौरान निर्माण सामग्री को ढकना, भवन निर्माण के लिये अनिवार्य ग्रीन शील्ड, ग्रीन बेल्ट का विकास, ई-वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग, वाहन उत्सर्जन की कड़ी जाँच तथा स्मॉग गन का उपयोग कुछ ऐसे कदम हैं, जो राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं।
- सिन्धु-गंगा के मैदान को बड़े पैमाने पर एयरोसोल लोडिंग का सामना करना पड़ता है, जो कई शहरों में वायु प्रदूषण का एक कारण भी है।
  - एरोसोल को गैस में ठोस या तरल कणों की निलंबन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS)

- NAAQs वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं।
  - NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची में PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओज़ोन, लेड, बेंज़ीन, बेंजो-पाइरेन, आर्सेनिक और निकेल शामिल है।

बिहार लघु उद्यमी योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के लिये 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई, जिसमें "बिहार लघु उद्यमी योजना" को मंज़ूरी दी गई।
- पाँच वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोज़गार के अवसर प्रदान करना है जिनकी मासिक आय ₹6,000 प्रति माह से कम है।
- राज्य उद्योग विभाग इस योजना को लागू करेगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- गरीब परिवारों के कम-से-कम एक सदस्य को 63 प्रकार की इकाइयों में से हस्तशिल्प, कपड़ा, सैलून, भोजनालय जैसी छोटी औद्योगिक या प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने के लिये तीन किस्तों में ₹2 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

नोट :

- कैबिनेट ने ₹9.79 करोड़ के अनुमानित वार्षिक व्यय को मंज़ूरी दी:
- सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा की तैयारी करने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) परिवारों के छात्रों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के दायरे का विस्तार करना।
- भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले EBC छात्रों को ₹75,000 से ₹30,000 तक का एकमुश्त वित्तीय अनुदान भी मिलेगा।

नोट:

- हाल ही में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के बाद राज्य विधानसभा में सामाजिक-आर्थिक आँकड़े जारी किये।
  - आँकड़ों से पता चला कि राज्य के कुल 2,76,28,995 परिवारों में से 94,33,312 परिवार (या 34.13%) आर्थिक रूप से गरीब हैं।
  - गरीब परिवारों में से 3.31 मिलियन परिवार EBC से, 2.47 मिलियन परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से, 2.34 मिलियन परिवार अनुसूचित जाति (SC) से, 1.08 मिलियन परिवार सामान्य वर्ग से और 2,01,000 परिवार अनुसूचित जनजाति (ST) से हैं।

सरकार बिहार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी

चर्चा में क्यों ?

राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मुताबिक सरकार बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के मिशन पर कार्य कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (16 जनवरी) के अवसर पर अधिवेशन भवन में बिहार स्टार्टअप अवाड्र्स 2024 कार्यक्रम में मंत्री के अनुसार, जैसे-जैसे स्टार्टअप क्षेत्र बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा।
- कार्यक्रम में राज्य में सक्रिय कई स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किये गए, जिनमें शामिल हैं:
- मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पुरस्कार मिला, वेद प्रभा एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इस श्रेणी में प्रथम रनर-अप और बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड दूसरे रनर-अप के रूप में उभरी।
- महिला नेतृत्व, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न श्रेणियों में भी पुरस्कार दिये गए।
- बिहार स्टार्टअप नीति के तहत उद्यमियों को:
  - नवोदित उद्यमियों को दस वर्ष की अवधि के लिये 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त प्रारंभिक निधि प्रदान की जाती है।
  - महिलाओं द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप के लिये सीड फंडिंग के रूप में 5% अधिक राशि आवंटित की जाती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अलग-अलग श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिये 15% अधिक राशि आवंटित की जाती है।
  - त्वरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है।
  - यदि पंजीकृत संस्थाओं और एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होता है, तो 50 लाख रुपए तक का मैचिंग लोन भी प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस

- भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और उसे बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है।
- स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी, 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी।
- इसमें सीड फंड योजना तथा क्रेडिट गारंटी योजना जैसी पहल शामिल हैं, जो स्टार्टअप को और सहायता प्रदान करती हैं।
- 31 मई, 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिये तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है।
  - भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है।

नोट :

बिहार के कॉलेजों में "प्लस टू" कक्षाएँ नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में आयोजित होने वाली प्लस टू (इंटरमीडिएट) कक्षाओं को बंद करने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- अधिसूचना के मुताबिक, नए सत्र से इंटरमीडिएट की शिक्षा (तीनों संकाय- कला, विज्ञान और वाणिज्य) अब केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही दी जाएगी।
- विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में कॉलेजों से इंटरमीडिएट को अलग करने की सिफारिश की गई है, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति के कारण इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है।
  - वर्ष 2007 में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986/92) के अनुरूप कॉलेजों से इंटरमीडिएट शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का नीतिगत निर्णय लिया था और प्लस टू में 10+2 प्रारूप पेश किया था।
  - एक विशेष अभियान के तहत, विभाग ने पहले ही बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे का विकास किया और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये 67,961 शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों में 65,737 अन्य शिक्षकों की भर्ती की है।
- बिहार सरकार ने हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का नीतिगत निर्णय लिया और मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड किया था।

जल प्रबंधन परियोजना के लिये विश्व बैंक ऋण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना (BIWRMP) के लिये विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को अपनी स्वीकृति दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार की चल रही पहल 'हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय' और 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' के साथ संरेखित BIWRMP को छह वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा।
  - इसकी अनुमानित लागत 4,415 करोड़ रुपए है, जिसमें से 30% बिहार वहन करेगा, जबकि शेष 70% के लिये विश्व बैंक ऋण प्रदान करेगा।
  - यह लंबे समय से लंबित पश्चिमी कोसी नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन बिहार में सदियों पुराने बाँधों की बहाली में भी सहायता करेगा।
  - इसमें नदियों को जोड़ने, बाढ़ को कम करने के लिये प्रमुख नदियों से अतिरिक्त जल प्रवाह को नियंत्रित करने और नदी तटबंधों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिये नई तकनीकों को नियोजित करने की महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ शामिल हैं।
- गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती आदि नदियों के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों को लंबे समय तक कटाव से बचाने के लिये उन्नत उपाय लागू किये जाएंगे।

विश्व बैंक

- इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया।
- विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये कार्य कर रहा है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।

नोट :

प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे (ECR) क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुत: आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, परियोजना का लक्ष्य पूरे देश में कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाना है।
- आधिकारिक बयान के अनुसार, बिहार में अब जिन तैंतीस रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा उनमें शामिल हैं: बरौनी, सीवान, मुंगेर, थावे, सबौर, अररिया, शिवनारायणपुर, दौरम मधेपुरा, डेहरी ऑन सोन, गुरारू, करागोला रोड, चौसा, लहेरिया सराय, बांका, सिमरी बख्तियारपुर, सुपौल, नवादा, रक्सौल, मोतीपुर, लक्खीसराय, मसरख, रफीगंज, मैरवा, पीरो, बिक्रमगंज, लाभा, जनकपुर रोड, चकिया, नबीनगर रोड, घोड़ासहन, सालमारी, एकमा और शाहपुर पटोरी।
- परियोजना के तहत, स्टेशनों को शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेल क्षेत्र आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के साथ सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा।
- पुनर्विकसित स्टेशनों पर अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार, मल्टी-लेवल पार्किंग, लिफ्ट एस्केलेटर, एक्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया तथा ट्रैवलेटर का प्रावधान होगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना

- अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।
- यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ इंटर-मोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिये सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिये साइनेज (संकेतों के माध्यम से) सुविधा भी सुनिश्चित करेगा।
- यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी।
- पूर्व मध्य रेलवे (ECR) क्षेत्र
- इसका मुख्यालय हाजीपुर (बिहार) में है, इसकी स्थापना 1 अक्तूबर 2002 को हुई थी।
- इसकी स्थापना पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और समस्तीपुर मंडल तथा पूर्वी रेलवे के धनबाद, दानापुर एवं मुगलसराय मंडल को अलग करके की गई थी।

बिहार लघु उद्यमी योजना 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने 'बिहार लघु उद्यमी योजना 2024' के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिये बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की।
- योजना के तहत 50 लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से किया गया था।
- अधिकारियों के अनुसार, राज्य में 2.76 करोड़ लोगों ने जाति-आधारित जनगणना में भाग लिया, जिसमें 94 लाख परिवार प्रति माह 6000 रुपए से कम कमाते थे।

बिहार लघु उद्यमी योजना

- वर्ष 2024 में शुरू की गई यह योजना स्वरोज़गार और उद्यमिता के लिये प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- योजना के तहत, निवेशक लघु-कुटीर/कुटीर उद्योगों को वित्त पोषित कर सकते हैं, जैसे– हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र और विद्युत के सामान।
- अप्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को अब 2 लाख रुपए (पहले 1 लाख रुपए) और 1 लाख रुपए (पहले 75,000 रुपए) का मुआवज़ा मिलेगा।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :